

III Bullet - xxx

असमत से युक्त व्यक्तियों के लिए नई नीतियाँ - 2012

क्रि: शक्ति वर्ग के लिए नई नीति - 2012

(New policies for persons with disability - 2012)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम - 2012 विकलांग लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य समेत उनके विभिन्न अधिकारों की संरक्षण के लिए प्रावधानों का उपाय करना है।

यह अधिकार गारन्टी के विकलांग नागरिकों के अधिकारों को नये रूप में व्याख्या करता है।

इस अधिनियम के अनुसार सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनके सिद्धांतों पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के अथवा उनके हितों का संरक्षण करते हैं।

असमत से युक्त व्यक्तियों के लिए नई नीतियाँ - 2012 का ~~संघ~~ सुनिश्चित अधिकारों का प्रावधान :-

- i) विकलांगों के अनुसूचित शक्ति का समान व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और स्वतंत्रता :-
- ii) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी :-
- iii) छात्रों की समागत :-
- iv) मानव विविधता का समान :-
- v) उपयोगिता :-
- vi) पुरुष और महिला के बीच समागत :-
- vii) विकलांग बच्चों को उच्चतर शिक्षा का समान :-

विश्वीय व्यक्तियों का अधिनियम 1995

4) रोजगार के अवसर प्रदान करना (providing opportunities of employment) :-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का प्रयत्न यह है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध तथा उनकी स्थापना (placement) की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में अक्षम व्यक्तियों के रोजगार मिल सकता है उन क्षेत्रों को सरकार द्वारा विकास किया जाना चाहिए।

5) आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) :-

सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए वर्तमान समय में सरकार द्वारा नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। इसमें 4% की व्यवस्था की गयी है।

6) यात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ (Travelling Related facilities) :-

यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में इन व्यक्तियों के लिए किराये में बसों का प्रावधान होना चाहिए।

7) अक्षमता रोकने के लिए शोध (Research for disability prevention) :-

इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के साथ ही स्वीकार किया गया है इन शोधकार्यों का प्रयत्न अक्षम व्यक्तियों को शारीरिक अक्षमताओं को रोकना तथा उन्हें दूर करना।

उपरोक्त सुविधाएँ अक्षमता को निवारित करने के लिए प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

8. उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था (Arrangement of Construction of Instruments):

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को यह भी पारित होना कि शारीरिक शिक्षण में सम्बन्धित उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था की जाए, जिससे कम दर पर आवश्यक शिक्षण सामग्री को तैयार किया जा सके।

9. स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health facilities):

शारीरिक शिक्षण में युवाओं की विद्यालय में स्थित होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

10. उपकरण (Instrument):

शारीरिक रूप से शिक्षण सामग्री को तैयार करना सम्बन्धित उपकरण शिक्षण सामग्री को तैयार करना चाहिए। - परीक्षा में न चलने वाले सामग्री को तैयार एवं तैयार शिक्षण सामग्री को तैयार करना चाहिए।

② Disability (असमर्थता) / अक्षमता :-

अक्षमता/असमर्थता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से व्योमोचन वाला व्यक्ति सम्मिलित होते हैं

इस प्रकार अक्षमता की अवधारणा में मानसिक मर्दा, पिछड़ाये विकलांगता, बाधिता तथा अधिग्राम अक्षमता का अध्ययन किया जाता है

अक्षमता के दो प्रकार के होते हैं :-


① शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

② मानसिक अक्षमता (mental Disability)

① शारीरिक अक्षमता (physical Disability) :-

शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय है शरीर के अक्षमता है । जैसे - देखने, सुनने, खींचने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

शारीरिक अक्षमता (physical Disability)



3. अपंग (विकलांग)
 (Handicapped) :-

महत्वाकांक्षी से सम्बन्धित है जो बाधित और विकलांग
 के समतुल्य होती है। अपंग व्यक्ति को उन
 कार्य शक्तों में कमी के लक्षण हैं - इस दोष के
 कारण सही रास्ता ले लिये, उद्योग तथा पर्याप्त सामाजिक
 की उपस्थिति में कठिनाई अनुभव करते हैं विकलांग कहलाने
 हैं।

Definition of Handicapped :-

B. J. Timari के अनुसार :-

“विकलांग एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति या व्यवस्था में सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति एवं नियमित कार्यों की अत्यधिक प्रभावित कर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आवाचक अनुभव को उत्पन्न कर देती है”

SK Sharma